न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 02 / 2021

अपीलांट–	***बनाम***	**रेस्पोडेंट–**
मथराराम पुत्र दुर्गाराम जाति मेघवाल निवासी आटी तहसील व जिला बाड़मेर		1. गोरखाराम पुत्र दुर्गाराम जाति मेघवाल निवासी आटी तहसील व जिला बाड़मेर 2. तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 2220–2222 दिनांक 08.07.2015 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री सुरेश कुमार पूनड़, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री नृसिंह सोलंकी, रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रर्फोमा पक्षकार

निर्णय

दिनांक : 25.02.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा ग्राम जूनी आटी पटवार क्षेत्र आटी के खसरा नंबर 302 / 456, 329, 328 / 459, 354 कुल रकबा 70–13 बीघा भूमि के विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 08.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा ग्राम जूनी आटी के खसरा नंबर 302 / 456, 329, 328 / 459, 354 कुल रकबा 70–13 बीघा भूमि के खातेदारान मथरा, गोरखा पि0 दुर्गा कौम मेघवाल निवासी देह ने दिनांक 08.07.2015 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी [illegible] का पटवारी आटी द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अं[illegible] कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र [illegible] है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार क[illegible] विभाजन करने के लि[illegible]त है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सह[illegible] विभाजन प्रस्ताव स्वीक[illegible]ना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2015 द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:44:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर

स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.01.2021 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि रेस्पोडेट सं. 1 ने अपीलांट को जानकारी दिये बिना ही अपीलांट को धोखे में रखते हुए हल्का पटवारी से मिलीभगत कर मौके की स्थिति के विरूद्ध विभाजन प्रस्ताव हल्का पटवारी से तैयार करवाकर उस पर अपीलांट जो हस्ताक्षर करता है, के फर्जी अंगुष्ठ निशान कर विभाजन समझौता प्रस्ताव राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2015 केम्प आटी में दिनांक 08.07.2015 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर उसी दिन स्वीकृत करवा दिया। कृषि जोत के विभाजन के संबंध में यह आवश्यक हैं कि भूमि की उर्वरा स्थिति पक्षकारों के कब्जा का ध्यान रखा जाना था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम बिन्दुओं को अनदेखा कर अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की हैं। विवादित भूमि खसरा सं. 354, 329 के मध्य में नदी चलती है जिस कारण रेस्पोडेंट सं. 1 ने नदी के दोनो तरफ की उपजाऊ भूमि अपने हिस्से में रखी हुई है तथा खसरा सं. 846/354, 459/338 भाखर व डूंगरी किस्म की भूमि जिस पर फसल पैदा नहीं हो सकती है तथा पूर्ण रूप से बंजर व अनुपयोगी भूमि विभाजन में अपीलांट के हिस्से में रख दी गई। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 1 के मध्य हुए बाहमी बंटवाड़े के अनुसार अपीलाधीन विभाजन नहीं हुआ हैं तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा–काश्त में भारी भिन्नता है, जिसके कारण अपीलांट की ढाणी, बाड़े आदि रेस्पोडेंट के कब्जे में चले गये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं।

5. अपीलांट के अधि[illegible] अपीलाधीन विभाजन के बारे में अपीलांट को कोई जानकारी नह[illegible]आई तथा सहमति विभाजन पर अपीलांट के फर्जी अंगु[illegible] सं. 1 ने राजस्व कर्मचारियों के साथ मि[illegible]र षडयंत्र पूर्वक बंटवाड़ा करवा लिया तथा जरिये नामान्तरकरण सं. 86 दि[illegible] 08.07.2015 के राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवा दिया। रेस्पोडेंट सं. 1 ने वर्ष 2019 में अपने हिस्से में आई

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:44:25 IST
Reason: SelfAttested

भूमि की नेखमबन्दी करवाने हेतु आवेदन पेश किया तथा नेखमबन्दी के प्रकरण में आदेश होने पर वर्तमान हल्का पटवारी एवं आर आई मौके पर आकर रेस्पोडेंट सं. 1 के हिस्से की भमि की पैमाईश की जाने लगी, जिस पर अपीलांट ने अकेले रेस्पोडेंट सं. 1 की भूमि का नाप करने के बारे में पूछताछ की तो हल्का पटवारी ने समस्त रेकर्ड के बारे में बताया। इस पर अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश की प्रति दिनांक 12.01.2021 को प्राप्त की तथा अपीलांट को सर्वप्रथम इस गलत विभाजन की जानकारी हुई। अपीलांट ने जानकारी होने से सम्यक तत्परता के साथ यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की हैं फिर भी सद्भाविक एवं अज्ञानता वश हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र पेश हैं। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें तथा विवादित भूमि का नये सिरे से पक्षकारान का मौके पर कब्जा–काश्त व बाहमी बंटवाड़े के अनुसार तथा भूमि की गुणवता को ध्यान में रखते हुए विभाजन किये जाने हेतु आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा ग्राम जूनी आटी के खसरा नंबर 302/456, 329, 328/459, 354 कुल रकबा 70–13 बीघा भूमि के खातेदारान मथरा, गोरखा पि0 दुर्गा कौम मेघवाल निवासी देह ने दिनांक 08.07.2015 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी आटी द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2015 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अपीलांट स्वंय की सहमति एवं उनकी उपस्थिति में राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2015 में केम्प आटी में पारित हुआ हैं। अपीलांट को इस आदेश की आरम्भ से ही जानकारी थी तथा अब जमीनों की कीमतों में वृद्धि हो जाने तथा नियत में फर्क आने से रेस्पोडेंट के कब्जे [illegible] नियत से यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों के साथ [illegible] प्रस्तुत की हैं जो खारिज योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:44:25 IST
Reason: SelfAttested

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा ग्राम जूनी आटी के खसरा नंबर 302/456, 329, 328/459, 354 कुल

रकबा 70–13 बीघा भूमि के खातेदारान मथरा, गोरखा पि0 दुर्गा कौम मेघवाल निवासी देह ने दिनांक 08.07.2015 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी आटी द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2015 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन हैं कि रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा हल्का पटवारी से मिलीभगत कर अपीलांट के फर्जी अंगुष्ठ निशान अंकित कर एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा विभाजन के संबंध में विधिक प्रक्रिया एवं विधिक प्रावधानों को देखे बिना ही विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपीलाधीन कार्यवाही उसको धोखे में रखकर उसके फर्जी अंगुष्ठ निशान अंकित कर सहमति होना प्रकट किया है जबकि इस संबंध में धोखे एवं कपटपूर्ण कार्यवाही के लिये कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं करवाया हैं। तहसीलदार बाड़मेर ने अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया हैं कि "यह भूमि विभाजन का सहमति पत्र (एग्रीमेंट) सभी खातेदारों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत किया है। भूमि विभाजन सहमति पत्र पढ़कर सुनाया व समझाया गया। सभी सहखातेदार भूमि विभाजन पत्र से सहमत हैं।" इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट स्वंय उपस्थित हुआ है, जिसकी पहचान सरपंच, ग्राम पंचायत आटी द्वारा की गई है, ऐसे में अपीलांट का यह कथन दस्तावेजी साक्ष्यों से परे हैं कि अपीलाधीन विभाजन के बाबत उसकी सहमति नहीं थी और न ही उसके अंगुष्ठ निशान हैं। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश उसकी उपस्थिति एवं सहमति के आधार पर पारित किया जाना स्पष्ट रूप से प्रमाणित हैं तथा इसके विरूद्ध यह अपील करीब पांच वर्ष से अधिक समयावधि बाद प्रस्तुत की गई हैं जो मयाद बाहर हैं। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा मयाद के संबंध में उल्लेखित कारण संतोषप्रद नही होने से एवं अपील के आधार [illegible] करने से वह किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं [illegible] से अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा न्यायिक निर्णय नजीर 20[illegible] 2016 (2) डीएनजे (सीसी) 62, 2011(3) डीएनजे (सीसी) 905 इत्यादि प्रस्तुत की गई है जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय एवं विभिन्न न्यायिक अभिकरणों द्वारा देरी से प्रस्तुत अपील में विलम्ब का ठोस एवं संतुष्टिपरक कारण प्रकट करने के अभाव में अपील खारिज योग्य

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:44:25 IST
Reason: SelfAttested

होना निर्धारित किया हैं। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी खातेदारी भूमि के विभाजन हेतु प्रस्तुत एग्रीमेंट स्वीकार किया है ऐसे में सहमति से भूमि विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध 5 वर्ष से अधिक समयावधि बाद प्रस्तुत अपील मयाद बाहर है। लिहाजा अपीलांट की यह अपील सारहीन व आधारहीन होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ ही मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:44:25 IST
Reason: SelfAttested